पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

मिशन शक्ति 5.0- मिलकर हाथ बढ़ाएँ, मिशन शक्ति को सफल बनाएँ।

थाना सआदतगंज टीम द्वारा LDA कॉलोनी में आयुष्मान भारत नगरी हेल्थ एंड वैलनेस केंद्र, सआदतगंज में जाकर महिलाओं की सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, साईबर अपराध, हेल्प लाईन नम्बर एवं यूपी काप आदि योजनाओ के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।

दिनांक- 03.05.2026

थाना सआदतगंज द्वारा 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत महिला सशक्तिकरण विषय पर एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य "मिलकर हाथ बढ़ाएँ, मिशन शक्ति को सफल बनाएँ" के संकल्प को साकार करना था। इसमें बच्चो व महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, घरेलू हिंसा से सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ, तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के प्रभावी तरीकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, उन्हें महत्वपूर्ण महिला हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थितियों में वे तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। यह पहला महिलाओं को उनकी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम साबित हुई।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक **सराहनीय कदम** है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजन/आयोजक टीम –

- महिला आरक्षी सोनी, थाना सआदतगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी सविता, थाना सआदतगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना सआदतगंज क्षेत्र LDA कॉलोनी में आयुष्मान भारत नगरी हेल्थ एंड वैलनेस केंद्र

प्रतिभागी: -

- महिला आरक्षी सविता, थाना सआदतगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी प्रभा, थाना सआदतगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना सआदतगंज के LDA कॉलोनी में आयुष्मान भारत नगरी हेल्थ एंड वैलनेस केंद्र महिलाओं/बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 03.05.2026 को जनपद लखनऊ के थाना सआदतगंज क्षेत्र के LDA कॉलोनी में आयुष्मान भारत नगरी हेल्थ एंड वैलनेस केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर महिला बीट और पिंक बूथ टीम द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090, 181 और 1076 की उपयोगिता बताई, साथ ही महिला हेल्प डेस्क, महिला सुरक्षा केंद्र और 'यूपी कॉप एप' जैसी सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने की अपील करते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में बताया गया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना या ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- महिला शक्ति को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना।
- छात्र-छात्राओं में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय

- सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना
- साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी

बच्चो को बताया गया कि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में वे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें अथवा मैसेज के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

"मिशन शक्ति 5.0

महिलाओं व बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा साइबर अपराधों से बचाव हेतु किया जागरूक।

दिनांक- 03.05.2026

थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा आंचलिक विज्ञान केंद्र थाना अलीगंज में महिला अध्यापक एवं छात्राओं को पम्पलेट वितरण करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, "मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला उ0नि0 शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रवीन्द्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- आंचलिक विज्ञान केंद्र थाना अलीगंज लखनऊ में

प्रतिभाग-

- ✓ महिला उ0नि0 शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ उपनिरीक्षक रवींद्रनाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ आंचलिक विज्ञान केंद्र थाना अलीगंज लखनऊ में महिला अध्यापक एवं छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 03.05.2026 को मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत आंचलिक विज्ञान केंद्र थाना अलीगंज लखनऊ में महिला अध्यापक एवं छात्राओं को पम्पलेट वितरण किया।

बच्चों/महिलाओं को महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वलम्बन, साईबर जागरूकता आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा मिशन शक्ति के तहत विभिन्न हेल्प लाईन नम्बर 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 वीमेन हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा, 102 गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एंबुलेंस हेल्पलाइन 108 एंबुलेंस सेवा, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन एवं up cop आदि के साथ महिलाओ को समर्पित सरकारी योजनाओ के बारे में जागरूक किया गया।

"मिशन शक्ति 5.0 हमारे समाज के लिए एक सुदृढ़ और प्रगतिशील भविष्य की नींव रखने का प्रतीक है। यह मिशन ऐसे समाज के निर्माण के संकल्प को दर्शाता है, जहाँ हर बच्चा, विशेष रूप से बच्चियाँ, सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त होकर अपने सपनों का भविष्य गढ़ सकें। इसका उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनके सफर में एक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाना है, ताकि वे हर चुनौती का सामना करते हुए आत्मनिर्भर बन सकें और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे सकें।"

उद्देश्य:

1. **जागरूकता का प्रसार:** महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करना। इसमें नारी स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा और 'गुड टच-बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
2. **मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचय कराना:** आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के कार्यों, उद्देश्यों और उपलब्ध सेवाओं (जैसे कानूनी सहायता, परामर्श, संरक्षण) की जानकारी देना ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इनका लाभ उठा सकें।
3. **हेल्पलाइन सेवाओं का प्रचार-प्रसार:** महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न आपातकालीन और सहायता सेवाओं (जैसे 1090, 181, 112, 1098, 1930 आदि) के बारे में व्यापक पैमाने पर जानकारी पहुँचाना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
4. **सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** एक ऐसे सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना जहाँ महिलाएं और बच्चे बिना किसी भय के अपना विकास कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
5. **सामुदायिक सहभागिता:** एंटी-रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम के माध्यम से सीधे तौर पर समुदाय तक पहुँचकर, सुरक्षा और जागरूकता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक- 03.05.2026

"मिशन शक्ति 5.0- हर गाँव, हर नारी; हो सुरक्षित और हो सजग हमारी"

थाना मदेयगंज कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अंतर्गत कर्बला ढाल पर जाकर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामवासियों को मिशन शक्ति के तहत महिलाओ व बच्चो को महिला सुरक्षा, साइबर जागरूकता और कानूनी अधिकारों पर पुलिस-जनता संवाद ने बढ़ाया महिला सुरक्षा का विश्वास।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण एवं पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशों के अनुपालन में, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान करने हेतु 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ किया गया है। यह अभियान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत, श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में, जनपद लखनऊ में स्थित सभी 54 थानों पर 'मिशन शक्ति केंद्र' की स्थापना की जा चुकी है। इन केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं से संबंधित शिकायतों और समस्याओं का त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- महिला शक्ति को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना।
- महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला मुख्य आरक्षी ज्योति, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट
- डालीगंज क्रांसिग थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ में

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक सविता, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी आशा, थाना मदेयगंज लखनऊ कमिश्नरेट
- डालीगंज क्रांसिग थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ में करीब 20-25 महिलाए और बच्चे।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 03.05.2026 को थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के संबंध में जागरूक किया गया।

इस दौरान महिलाओं एवं बच्चियों को महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से संबंधित जानकारी देते हुए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1076 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई।

साथ ही महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, साइबर क्राइम एवं यूपी कॉप ऐप के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर अपराध से बचाव, ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा एवं डिजिटल सतर्कता के संबंध में जागरूक करते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:

जागरूकता का सृजन:

- छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी मिलती है।
- साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, और अन्य डिजिटल खतरों से बचने के उपाय सीखने को मिलते हैं।
- यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होती है।

सशक्तिकरण:

- ऐसे कार्यक्रम लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर और उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर सशक्त बनाते हैं।
- वे आपात स्थिति में किससे और कैसे मदद लें, इस बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं।

समाज में बदलाव:

- जब युवा पीढ़ी जागरूक होगी, तभी एक सुरक्षित और समान समाज का निर्माण संभव है।
- छात्राएं न केवल स्वयं सीखती हैं बल्कि अपने परिवार और समुदाय में भी यह ज्ञान फैलाती हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 03.05.2026

मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान के तहत थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक।

राम-राम बैंक क्षेत्र एवं झोपड़ पट्टी में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध एवं हेल्पलाइन नंबरों की दी गई जानकारी। महिलाओं को साइबर अपराध से बचाव, ऑनलाइन सुरक्षा एवं डिजिटल जागरूकता के संबंध में किया गया जागरूक। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देकर किया गया प्रेरित।

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र अभियान है।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और **पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के** मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- उपनिरीक्षक रफ़तउल्ला थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी दिव्या शुक्ला थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी अंकिता राय थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी पूजा राजपूत थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- राणा प्रताप उद्यान क्षेत्र अंतर्गत राम-राम बैंक एवं झोपड़ पट्टी मडियांव थाना क्षेत्र

प्रतिभाग-

- उपनिरीक्षक रफ़तउल्ला थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी दिव्या शुक्ला थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी अंकिता राय थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी पूजा राजपूत थाना मड़ियांव लखनऊ कमिश्नरेट।
- राणा प्रताप उद्यान क्षेत्र अंतर्गत राम-राम बैंक एवं झोपड़ पट्टी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 03.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना मड़ियांव के निर्देशन में मिशन शक्ति टीम एवं पिंक बूथ कर्मियों द्वारा चौकी राणा प्रताप उद्यान क्षेत्र अंतर्गत राम-राम बैंक एवं झोपड़ पट्टी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 181, 1076 सहित अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही महिला हेल्प डेस्क, वीमेन पावर लाइन, मिशन शक्ति केंद्र, यूपी कॉप ऐप एवं साइबर अपराध से बचाव के संबंध में विस्तार से जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति टीम द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी देते हुए ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर ठगी एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे शिक्षा, बैंक सुविधा, विधवा पेंशन योजना एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान कर सभी को जागरूक किया गया।

मुख्य कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य:

1. सुरक्षा एवं सजगता: महिलाओं एवं छात्राओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों (जैसे यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा) से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करना।
2. हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार: महिला हेल्पलाइन नंबर 112, 1090 (वूमेन पावरलाइन), और 181 (महिला हेल्पलाइन) जैसे महत्वपूर्ण नंबरों से अवगत कराना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
3. शिक्षा का महत्व: लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शैक्षिक अधिकारों के प्रति सजग करना।
4. कानूनी अधिकारों की जानकारी: महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों (जैसे POCSO अधिनियम) की जानकारी देना।
5. सामुदायिक सहयोग: पुलिस और समुदाय के बीच सहयोग बढ़ाकर एक सुरक्षित माहौल बनाना।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

"मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज, मिशन शक्ति का यही प्रयास"

थाना माल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नौबस्ता थाना माल जनपद लखनऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक –03.05.2026

लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में रविवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ म0उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव माल लखनऊ कमिश्नरेट ।
- ✓ म0हे0का0 2581 अनुराधा सिंह थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट ।
- ✓ थाना **माल क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत **ग्राम नौबस्ता थाना माल जनपद लखनऊ** में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोजक टीम-

- महिला उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ ।
- थाना माल के अन्य महिला कर्मचारी उपस्थित रहे ।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना **माल क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत **ग्राम नौबस्ता थाना माल जनपद लखनऊ** में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-712

दिनांक-03.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- थाना पीजीआई पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्यारोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.05.2026 को प्रार्थी लाल सिंह निवासी E1/303 विनय खण्ड -1 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ की तहरीरी सूचना पर- मु0अ0सं0 245/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ,बावत एक नामित अभियुक्त अरुण कुमार यादव पुत्र स्व0 शिवमोहन यादव निवासी म0न0-B-15/31 आसरा इन्क्लेव वृन्दावन थाना पीजीआई लखनऊ जिसके द्वारा वादी की पुत्री जिसकी शादी 02.12.2024 को उपरोक्त अभियुक्त के साथ शादी हुयी थी मृतका के पिता द्वारा लगाये गये दहेज हत्या व प्रताड़ना व पति द्वारा दहेज के लिए प्रताडित कर वादी की पुत्री सलोनी सिंह उम्र करीब 27 वर्ष की मृत्यु कारित कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे में उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

02- विवेचना व अभियुक्त की गिरफ्तारीः-

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के निर्देशन मे टीम गठित की गयीं। जिसमें हस्वास्वादेश सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज लखनऊ उ0नि0 परमानन्द मय हमराह उ0नि0 शिवेन्द्र प्रताप सिंह,हे0का0 नन्दलाल पटेल,का0 सन्दीप कुमार थाना हाजा से रवाना होकर मु0अ0सं0 245/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरुण कुमार यादव पुत्र स्व0 शिवमोहन यादव मूल निवासी सराय मिसरन पोस्ट बरहा थाना खीरो जनपद रायबरेली हाल पता म0न0-B-15/31 आसरा इन्क्लेव वृन्दावन थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष को आसरा, इनक्लेव, फ्लैट संख्या बी-15/31 से दिनांक 03.05.2026 को थाना पीजीआई से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मृतका सलोनी सिंह मेरी पत्नी है, जो इसी फ्लैट के कमरे में अंदर का दरवाजा बंद करके गहरे गुलाबी रंग के दुपट्टे से फंदा लगाकर पंखे से लटक गई थी, सलोनी को आस-पास के व्यक्तियों की मदद से दरवाजा फैलाकर अंदर घुसकर मेरे द्वारा फन्दे से उतारा गया तथा इलाज हेतु ट्रामा सेन्टर पीजीआई ले जाया गया, जिस दुपट्टे से सलोनी सिंह फंदे पर लटकी थी अभियुक्त द्वारा सुपुर्द किया गया।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.अरुण कुमार यादव पुत्र स्व0 शिवमोहन यादव मूल निवासी सराय मिसरन पोस्ट बरहा थाना खीरो जनपद रायबरेली हाल पता म0न0-B-15/31 आसरा इन्क्लेव वृन्दावन थाना पीजीआई लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 245/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना पीजीआई लखनऊ

06-बरामदगी विवरण –

- **दुपट्टा गहरा गुलाबी रंग**

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. **उ0नि0 परमानन्द सिंह,थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।**
2. **उ0नि0 शिवेन्द्र प्रताप सिंह,थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।**
3. **हे0का0 नन्दलाल पटेल,थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।**
4. **का0 सन्दीप कुमार,थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-711

दिनांक-03.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- **जान से मारने की नीयत से फायरिंग व आम जनमानस में भय का माहौल उत्पन्न करने वाले 02 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.05.2026 को वादिनी मुकदमा रीना यादव पत्नी श्री करन सिंह यादव निवासिनी- एस0एस0 143 सेक्टर सी-1 एलडीए कालोनी कानपुर रोड लखनऊ की तहरीरी सूचना पर- मु0अ0सं0- 189/2026 धारा-191(2)/ 191(3)/ 190/ 352/ 351(3)/ 324(4)/ 109/ 61(2) भा0न्या0सं0 व 7 CL ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ बनाम 01. मनीष यादव पुत्र वासुदेव यादव निवासी अजीतनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष। 02. जीतू यादव पुत्र स्व0 सूरज पाल यादव निवासी अजीतनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष व अन्य नामित व अज्ञात व्यक्ति अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 30.05.2026 एक राय होकर पूर्व में हुये लडाई झगडे को लेकर षडयन्त्र पूर्वक वादिनी मुकदमा के घर पहुँचकर क्रेटा संख्या UP 32 PT 5335 को क्षतिग्रस्त करते हुये गाली गलौज कर जान माल की धमकी देने तथा जान से मारने की नियत से फायरिंग कर भय पूर्वक माहौल उत्पन्न करने के सम्बन्ध में पंजीकृत है ।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के निर्देशन में 06 पुलिस टीमें गठित की गयीं। जिनके द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सम्भावित स्थानों पर दबिश देते हुये लगभग 400-500 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करते हुए आज दिनांक 03.05.2026 को जीवी लॉन मोड से मनीष यादव व जीतू यादव को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी है गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मनीष यादव पुत्र वासुदेव यादव निवासी अजीतनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष।
2. जीतू यादव पुत्र स्व0 सूरज पाल यादव निवासी अजीतनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष।

03-अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मनीष ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 29.04.2026 को वे अपने साथी जीतू यादव व अन्य व्यक्तियों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां पूर्व की रंजिश को लेकर करन यादव से कहासुनी हो गई, जो बढ़कर मारपीट में बदल गई। उक्त घटना से आक्रोशित होकर हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 30.04.2026 को एलडीए कॉलोनी सेक्टर-सी-1, कृष्णानगर स्थित रीना यादव के घर पहुंचकर रीना यादव, आलोक एवं करन यादव के साथ गाली-गलौज की। साथ ही आवेश में आकर बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तथा मकान का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। फायरिंग के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि उन्हें भगत यादव द्वारा दहशत फैलाने एवं भय का माहौल बनाने के उद्देश्य से वहां भेजा गया था। घटनास्थल पर उनके साथ आए कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई।

04-आपराधिक इतिहास-

- ***अभियुक्त मनीष यादव के विरुद्ध 02 अभियोग पंजीकृत हैं-***

1. मु0अ0सं0-0050/2022 धारा-147/323/336/427/506 भादवि0 थाना-पारालखनऊ।
2. मु0अ0सं0-189/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/324(4)/109/61(2) बीएनएस व 7 CL ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

- ***अभियुक्त जीतू यादव के विरुद्ध 02 पंजीकृत अभियोग –***

1. मु0अ0सं0-188/2025 धारा- 115(2)/351(3) बी0एन0एस0 थाना काकोरीलखनऊ।
2. मु0अ0सं0-189/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/324(4)/109/61(2) बीएनएस व 7 CL ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ

- ***अन्य वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।***

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-189/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/324(4)/109/61(2) बीएनएस व 7 CL ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-711

दिनांक-03.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- **जान से मारने की नीयत से फायरिंग व आम जनमानस में भय का माहौल उत्पन्न करने वाले 02 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.05.2026 को वादिनी मुकदमा रीना यादव पत्नी श्री करन सिंह यादव निवासिनी- एस0एस0 143 सेक्टर सी-1 एलडीए कालोनी कानपुर रोड लखनऊ की तहरीरी सूचना पर- मु0अ0सं0- 189/2026 धारा-191(2)/ 191(3)/ 190/ 352/ 351(3)/ 324(4)/ 109/ 61(2) भा0न्या0सं0 व 7 CL ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ बनाम 01. मनीष यादव पुत्र वासुदेव यादव निवासी अजीतनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष। 02. जीतू यादव पुत्र स्व0 सूरज पाल यादव निवासी अजीतनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष व अन्य नामित व अज्ञात व्यक्ति अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 30.05.2026 एक राय होकर पूर्व में हुये लडाई झगडे को लेकर षडयन्त्र पूर्वक वादिनी मुकदमा के घर पहुँचकर क्रेटा संख्या UP 32 PT 5335 को क्षतिग्रस्त करते हुये गाली गलौज कर जान माल की धमकी देने तथा जान से मारने की नियत से फायरिंग कर भय पूर्वक माहौल उत्पन्न करने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के निर्देशन में 06 पुलिस टीमें गठित की गयीं। जिनके द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सम्भावित स्थानों पर दबिश देते हुये लगभग 400-500 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करते हुए आज दिनांक 03.05.2026 को जीवी लॉन मोड से मनीष यादव व जीतू यादव को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी है गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मनीष यादव पुत्र वासुदेव यादव निवासी अजीतनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष।
2. जीतू यादव पुत्र स्व0 सूरज पाल यादव निवासी अजीतनखेड़ा थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष।

03-अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मनीष ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 29.04.2026 को वे अपने साथी जीतू यादव व अन्य व्यक्तियों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां पूर्व की रंजिश को लेकर करन यादव से कहासुनी हो गई, जो बढ़कर मारपीट में बदल गई। उक्त घटना से आक्रोशित होकर हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 30.04.2026 को एलडीए कॉलोनी सेक्टर-सी-1, कृष्णानगर स्थित रीना यादव के घर पहुंचकर रीना यादव, आलोक एवं करन यादव के साथ गाली-गलौज की। साथ ही आवेश में आकर बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तथा मकान का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। फायरिंग के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि उन्हें भगत यादव द्वारा दहशत फैलाने एवं भय का माहौल बनाने के उद्देश्य से वहां भेजा गया था। घटनास्थल पर उनके साथ आए कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई।

04-आपराधिक इतिहास-

- ***अभियुक्त मनीष यादव के विरुद्ध 02 अभियोग पंजीकृत हैं-***

1. मु0अ0सं0-0050/2022 धारा-147/323/336/427/506 भादवि0 थाना-पारालखनऊ।
2. मु0अ0सं0-189/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/324(4)/109/61(2) बीएनएस व 7 CL ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

- ***अभियुक्त जीतू यादव के विरुद्ध 02 पंजीकृत अभियोग –***

1. मु0अ0सं0-188/2025 धारा- 115(2)/351(3) बी0एन0एस0 थाना काकोरीलखनऊ।
2. मु0अ0सं0-189/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/324(4)/109/61(2) बीएनएस व 7 CL ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ

- ***अन्य वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।***

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-189/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/352/351(3)/324(4)/109/61(2) बीएनएस व 7 CL ACT थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-710
दिनांक-03.05.2026

जोन- पश्चिमी दक्षिणी/ थाना- कैसरबाग

कैसरबाग पुलिस द्वारा नकबजनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, नकदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

- घटना कारित करने वाले 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- पुलिस टीम द्वारा लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों का गहन विश्लेषण कर घटना का सफल खुलासा किया गया।
- अभियुक्तगण बंद मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।
- गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 38 अदद पीली धातु के आभूषण (कुल वजन 392.65 ग्राम), 19 अदद सफेद धातु के आभूषण (कुल वजन 217.78 ग्राम), ₹8,870 नकद एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई।
- गिरफ्तार अभियुक्तों में से सुशील सोनी एवं मोहम्मद आजम उर्फ रानू के विरुद्ध जनपद लखनऊ के विभिन्न थानों में चोरी एवं नकबजनी के कई अभियोग पूर्व से पंजीकृत हैं।
- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP32KL2194 का इस्तेमाल अभियुक्त चोरी एवं रेकी करने में करते थे।
- अभियुक्तों को रोजगार भवन के सामने थाना कैसरबाग क्षेत्र से गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

01. कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस उपायुक्त पश्चिमी एवं अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन, सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग श्री अंजनी कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना कैसरबाग पुलिस टीम द्वारा नकबजनी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 नफर अभियुक्तों को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया।

02. घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.04.2026 को वादिनी श्रीमती निरुपमा श्रीवास्तव पत्नी स्व0 के0एन0 सिन्हा निवासी 84/22 सरोजनी देवी लेन, मकबूलगंज, थाना कैसरबाग, लखनऊ द्वारा थाना कैसरबाग पर लिखित सूचना दी गई कि रात्रि के समय अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर का कुंडा तोड़कर घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी कर ली गई है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कैसरबाग पर मु0अ0सं0-75/2026 धारा 331(1)/305(a) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गई।

घटना के खुलासे हेतु पुलिस टीम द्वारा लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन अवलोकन किया गया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, स्थानीय सूचना तंत्र एवं मुखबिरों को सक्रिय किया गया।

दिनांक 03.05.2026 को प्रातः मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण—

1. करन वर्मा
2. सुशील सोनी
3. मोहम्मद आजम उर्फ रानू

को रोजगार भवन के सामने थाना कैसरबाग क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे लोग शहर में घूम-घूमकर बंद मकानों की रेकी करते थे तथा सुनसान एवं बंद मकानों को चिन्हित कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। अभियुक्त मोहम्मद आजम उर्फ रानू द्वारा मकबूलगंज स्थित बंद घर की रेकी कर सूचना दी गई थी, जिसके बाद तीनों अभियुक्तों ने मिलकर उक्त चोरी की घटना कारित की थी।
अभियुक्तों ने यह भी बताया कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP32KL2194 का उपयोग रेकी एवं चोरी की घटनाओं में किया जाता था। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ एवं तलाशी लेने पर अभियुक्तों के कब्जे से चोरी गया माल बरामद किया गया।

बरामदगी के आधार पर मुकदमे में **धारा 317(3) बी0एन0एस0 की वृद्धि** की गई। अभियुक्तगण को नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03. गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. करन वर्मा

पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र निवासी 9/10 आश्रयहीन कॉलोनी चुन्नूखेड़ा थाना पारा जनपद लखनऊ, हाल पता मोधू का पुरवा मकनपुर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी, उम्र करीब 28 वर्ष।

2. सुशील सोनी

पुत्र रामधन सोनी निवासी मातन टोला निकट चतुर्भुजी मंदिर थाना गोसाईंगंज जनपद लखनऊ, उम्र करीब 34 वर्ष।

3. मोहम्मद आजम उर्फ रानू

पुत्र इस्लाम खान निवासी 2/104 ला-मार्टिनियर पुरवा थाना गौतमपल्ली जनपद लखनऊ, हाल पता किराये का मकान अवध मार्केट सरोजनी देवी लेन मकबूलगंज थाना कैसरबाग जनपद लखनऊ, उम्र करीब 36 वर्ष।

04. बरामदगी का विवरण-

- पीली धातु के आभूषण – 38 अदद (कुल वजन – 392.65 ग्राम)
- सफेद धातु के आभूषण – 19 अदद (कुल वजन – 217.78 ग्राम)
- नकद रुपये – 8,870/-
- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP32KL2194 – 01 अदद

05. अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

A. अभियुक्त सुशील सोनी के विरुद्ध जनपद लखनऊ के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी एवं बरामदगी से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत हैं।

a. अ0सं0 223/24 धारा 411/414 भादवि थाना चिनहट लखनऊ
b. अ0सं0 533/24 धारा 305(a)/317(2)/331(4) BNS थाना चिनहट लखनऊ
c. अ0सं0 589/24 धारा 305(a)/317(2)/331(4) BNS थाना चिनहट लखनऊ
d. अ0सं0 532/25 धारा 305(a)/317(2)/317(4)/331(4) BNS थाना गोसाईगंज लखनऊ
e. अ0सं0 330/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मोहनलालगंज लखनऊ
f. अ0सं0 614/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ
g. अ0सं0 660/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ

B. अभियुक्त करन वर्मा के विरुद्ध भी चोरी एवं नकबजनी से संबंधित अभियोग पंजीकृत पाए गए हैं।

a. अ0सं0 0375/2022 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना फतेहपुर बाराबंकी
b. अ0सं0 0524/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना फतेहपुर बाराबंकी
c. अ0सं0 0147/2020 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना पारा लखनऊ
d. अ0सं0 0195/2020 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना पारा लखनऊ
e. अ0सं0 0433/2025 धारा 305(a), 317(2), 317(5), 331(3) BNS थाना पारा लखनऊ
f. अ0सं0 0434/2025 धारा 109(1) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम थाना पारा लखनऊ
g. अ0सं0 0533/2024 धारा 305(a), 317(2), 331(4) BNS थाना चिनहट लखनऊ
h. अ0सं0 589/24 धारा 305(a)/317(2)/331(4) BNS थाना चिनहट लखनऊ
i. अ0सं0 0255/2022 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ
j. अ0सं0 0454/2022 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ
k. अ0सं0 0455/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना गोमतीनगर लखनऊ
l. अ0सं0 0191/2020 धारा 41, 411 भादवि थाना सआदतगंज लखनऊ
m. अ0सं0 0192/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सआदतगंज लखनऊ
n. अ0सं0 0040/2022 धारा 380, 411 भादवि थाना गोमतीनगर विस्तार लखनऊ
o. अ0सं0 614/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ
p. अ0सं0 660/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ

C. अभियुक्त मोहम्मद आजम उर्फ रानू के विरुद्ध थाना पारा, सआदतगंज एवं गोमतीनगर में चोरी एवं बरामदगी से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत हैं।

a. अ0सं0 147/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना पारा लखनऊ
b. अ0सं0 195/20 धारा 380/411/457 भादवि थाना पारा लखनऊ
c. अ0सं0 168/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना गोमती नगर लखनऊ
d. अ0सं0 191/20 धारा 41/411 भादवि थाना सआदतगंज लखनऊ

06. गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक एवं समय-

स्थान – रोजगार भवन के सामने, थाना कैसरबाग, लखनऊ
दिनांक – 03.05.2026
समय – प्रातः 02:41 बजे

07. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार - चौकी प्रभारी मकबूलगंज
2. उ0नि0 प्रशान्त कुमार - हल्का प्रभारी सब्जीमंडी
3. उ0नि0 सावंत कुमार - हल्का प्रभारी सुन्दरबाग
4. उ0नि0 रणजीत सर्विलांस सेल प्रभारी
5. हे0का0 वीर सिंह सर्विलांस सेल
6. का0 अनीश वर्मा - थाना कैसरबाग लखनऊ